<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>2018 की रिट याचिका (एस/एस) 1966</u>

संजय सिंह ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री अनिल अंतवाल, अधिवक्ता।

उत्तराखंड राज्य के लिए श्री नारायण दत्त, संक्षिप्त धारक।

तारीखः16 दिसंबर, 2021

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, जज</u>

आइए नं. 2021 का 12993, प्रतिवादी No.4 द्वारा दायर किया गया, पूरक जवाबी शपथ पत्र के साथ अभिलेख में लिया गया है।

2. यह मामला आपातकालीन आवेदन संख्या 2021 का 12994, में सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया, इसकी अनुमति होगी।

3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका की सुनवाई अपनी योग्यता के आधार पर की जा रही है।

4. वर्तमान रिट याचिका के लिए याचिकाकर्ता ने एक अनिवार्य रिट जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रतिवादी को सशस्त्र बलों में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखने का परमादेश दिया गया था, ताकि पुलिस विभाग में फिर से नियुक्त होने के पश्चात उनके वेतनमान और सेवा लाभों को फिर से निर्धारित किया जा सके, जो भारतीय एमी के साथ प्रदान की गई सेवाओं की अवधि को शामिल करने के पश्चात निर्धारित किया जाए।

5. कुछ तथ्य, जो अभिलेखों पर स्पष्ट हैं, वे हैं कियाचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता का चयन किया गया था और बाद में उसे 16 जुलाई, 1993 को भारतीय सशस्त्र बलों में नामांकित किया गया था, था, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वह एक सैनिक के रूप में सशस्त्र बल सेवाओं में शामिल हो गया भारतीय सशस्त्र बलों में 15 साल की सेवा प्रदान करने के पश्चात उसे 31 अगस्त, 2008 को सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई।इसके पश्चात रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी W.E.F के साथ एक सिपाही के रूप में अपनी सेवाओं में शामिल होने के लिए दिखाया गया है। 4 अप्रैल, 2011 को सिविल पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में में उक्त क्षमता में सेवाओं का निर्वहन किया था, और इसलिए, रिट याचिका में उनकी शिकायत उठाई गई है कि किराज्य पुलिस सेवाओं में एक कांस्टेबल के रूप में उनके अवशोषण के पश्चात 1993 से 31 अगस्त 2008 तक भारतीय सशस्त्र बलों में सेवाएं प्रदान करने के पश्चात सेवा लाभों के अनुदान और उनके पैमाने के पुनर्निर्धारण के उद्देश्यों के लिए इसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक था।वह प्रस्तुत करता है किप्रतिवादी के

समक्ष बार-बार अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो उसने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया किसशस्त्र बलों से छुट्टी मिलने के पश्चात बाद की नियुक्ति पर सेवा लाभ प्रदान करने के लिए सेवा अवधि को शामिल करने से संबंधित मुद्दा एक विषय था, जिसे शुरू में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष रिट याचिका (एस/बी) नं. 2005 का 50, T.P. कुंडलिया बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, जिसमें इस न्यायालय की अनुशासित खण्ड पीठ ने 4 जुलाई, 2005 को दिए गए अपने निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है किमाननीय सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, जैसा कि1992 की 29711 की रिट याचिका में दिया गया है, याचिकाकर्ता की सेवाएं, जो उसने कमीशन होने के बाद सशस्त्र बलों में प्रदान की हैं, प्रशिक्षण पूरा होने पर परिवहन विभाग में अवशोषित होने के बाद सेवा लाभों के विस्तार के उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए, (जैसा किउस मामले में था) और इसे वरिष्ठता के सम निर्धारण के उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।खण्ड पीठ के फैसले के प्रासंगिक भाग ने पैरा 7,8 और 9 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "7. प्रथम प्रतिवादी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कियाचिकाकर्ता का मामला सिविल अपील संख्या संख्या में प्रतिवादी जितेंद्र नाथ के समान नहीं है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष 1995 का 837 और 838।एकमात्र तर्क यह है किदीवानी याचिका सं 1995 का 837 और 838 (रिट याचिका का अनुलग्नक अनुलग्नक 7) में उच्चतम न्यायालय के आदेश का लाभ मात्र उक्त जितेंद्र नाथ द्वारा दावा किया सकता है।हालाँकि, जब याचिकाकर्ता का मामला स्वीकार्य रूप से जितेंद्र नाथ के समान है यद्यपि जब याचिकाकर्ता उसी लाभ का दावा करता है जो श्री जितेंद्र नाथ को दिया गया था, तो कोई कारण नहीं है कियाचिकाकर्ता के साथ उक्त जितेंद्र नाथ से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।हमारे विचार में, चूंकि चूंकि याचिकाकर्ता का मामला श्री जितेंद्र नाथ के मामले के समान है, जिनके दावे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, इसलिए याचिकाकर्ता भी श्री जितेंद्र नाथ को दिए गए लाभ का का हकदार है।इस मामले को ध्यान में रखते हुए संलग्नक 11 के आदेश को रद्द किया जा सकता है और प्रथम प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को श्री जितेंद्र नाथ को दिए गए लाभ को बढ़ाने और परिवहन विभाग में अपनी वरिष्ठता तय करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेना की सेवा को में रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

8. श्री B.D.Kandpal, प्रथम प्रतिवादी के लिए विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किजब तक किउत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य द्वारा दायर 1994 की सिविल अपील No.358 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, रिट याचिका संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध न हो। याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1992 का 29711 की समीक्षा नहीं की गई है, याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती है।हम इस इस विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।1994 के सिविल अपील मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में एकमात्र इस मुद्दे पर विचार किया गया मात्र निर्णय लिया गया किक्या 10 जनवरी, 1968 से पहले मात्र 10 जनवरी, 1968 के पश्चात नियुक्त किए गए अधिकारियों के बीच वर्गीकरण भेदभावपूर्ण था या नहीं।यह प्रश्न

कि क्या एक अधिकारी जो 10 जनवरी, 1968 से पहले प्रशिक्षण में शामिल हुआ था और प्रशिक्षण के सफल समापन पर 10 जनवरी, 1968 के पश्चात कमीशन किया गया था, नियमों से लाभ का हकदार है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले के मामले में विचार या निर्णय नहीं लिया गया था।उपरोक्त पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र जितेंद्र नाथ के मामले में विचार और निर्णय लिया गया था।जितेंद्र नाथ के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने कहा किएक अधिकारी जो 10 जनवरी, 1968 से पहले प्रशिक्षण में शामिल हुआ था और 10 जनवरी, 1968 के के पश्चात प्रशिक्षण के सफल समापन पर कमीशन किया गया था, वह नियमों के से लाभ का हकदार है।इसलिए, दीवानी याचिका सं 1994 का 358 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस रिट याचिका में प्रार्थना प्रार्थना की अनुमति देने के रास्ते में खड़ा नहीं है।9.उपरोक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।संलग्नक 11 आदेश रद्द कर दिया गया है।प्रथम प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रथम प्रतिवादी के परिवहन विभाग में अपनी वरिष्ठता तय करने में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा ध्यान में रखे।

प्रथम प्रतिवादी याचिकाकर्ता के संलग्नक 9 के अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करेगा और उपरोक्त निर्देशों के आलोक में इस निर्णय अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द नए आदेश पारित करेगा।

7. खण्डपीठ के इस निर्णय में, यह प्रतिवादी का मामला नहीं है किकभी भी यह अनुरोध किया गया था कि किइसे कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी या जिसे कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त दिया गया था, इसलिए वही अनुपात अभी भी कानून की नजर में अच्छा रहेगा और न किउन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, फिर भी इस न्यायालय की एक और खण्ड पीठ ने रिट याचिका याचिका सं. 2006 के 211 (एस/बी), रवींद्र सिंह नायल बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य ने 4 जुलाई, 2005 के के फैसले का संदर्भ देते हुए समान लाभ दिया और इस प्रकार निर्देश दिया कियाचिकाकर्ता द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों में दी गई सेवाओं को फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पुलिस विभाग में वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्यों और अन्य सेवा लाभों के विस्तार के उद्देश्यों के लिए भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।खण्ड पीठ द्वारा 4 नवंबर, 2006 को दिए गए फैसले का प्रासंगिक हिस्सा यहां निकाला गया हैः "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या को खारिज करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर 1995 के 837 और 838 में कहा गया था किश्री जितेंद्र नाथ, जो 17.08.1967 पर प्रशिक्षण के लिए सेना में शामिल हुए थे और जिन्हें मात्र 23.06.1968 पर कमीशन दिया गया था, वे लाभों के हकदार थे क्योंकि वे W.E.F 17.08.1967 प्रशिक्षण ले रहे थे। उपर्युक्त नियमों के नियम 3 के प्रभाव और अधिकारियों को नियुक्त करने से पहले वास्तविक प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किजितेंद्र नाथ जैसे अधिकारी भी नियमों के लाभ के हकदार हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें भारतीय सेना में चुना गया था और उन्हें 08.12.1967 पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और उसके बाद उन्हें 12.01.1969 पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।उपरोक्त विवाद को इस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के साथ रिट याचिका सं. 2005 का 50 (एस. बी.) [T.P. कुंडलिया

कुंडलिया बनाम राज्य और एक अन्य ने 04.07.2005 पर फैसला किया।प्रतिवादी द्वारा यह विवादित है कि याचिकाकर्ता का मामला रिट याचिका संख्या में याचिकाकर्ता टी. पी. कुंडलिया के मामले के समान है। इस न्यायालय द्वारा 2005 का 50 (एस. बी.) तय किया गया है, इस प्रकार, वह उसी राहत का हकदार है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।लिखित याचिका की अनुमति है।भारतीय सेना में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से महीने की अवधि के भीतर पुलिस विभाग में वरिष्ठता तय करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।अंतरिम राहत राहत आवेदन सं. 2006 का 113457 तदनुसार निपटाया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

8. वास्तव में, खण्ड पीठ के बाद के फैसले ने भी अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए खण्ड पीठ के पहले के फैसले के पैरा 7,8 और 9 में की गई टिप्पणियों के आधार पर अपने फैसले को आधार बनाया है, जो ऊपर निकाला गया है।

9. खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को लीम्ड ब्रीफ होल्डर द्वारा इस तथ्य के आधार पर विवादित करने की मांग की जा रही है किजारी किए विद्वान परिपत्र के आधार पर, वास्तव में, पुलिस विभाग में विभाग में याचिकाकर्ता की भागीदारी और सशस्त्र बलों से उसके निर्वहन की तिथि के बीच अंतर था, और सेवाओं की निरंतरता नहीं थी, इसलिए, याचिकाकर्ता उन प्रावधानों के आलोक में समान लाभों के विस्तार का का हकदार नहीं होगा, जिन्हें विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा उसमें संदर्भित किया गया है, क्योंकि इसे पूरक जवाबी शपथ पत्र के साथ जोड़ा गया है।

10. 18 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के लिए किया गया संदर्भ इस बहाने है कि संशोधित प्रावधानों के से, जिसके आधार पर उत्तराखंड सेवनिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 2016 में एक संशोधन किया गया था, वास्तव में, यह बताने और आश्वस्त करने का प्रयास किया गया था किजब सशस्त्र बलों से छुट्टी की तिथि से से जुड़ाव के बीच समय का अंतर होता है, तो उस स्थिति में, सेवाओं की निरंतरता टूट जाती है और सशस्त्र बलों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अवधि को सेवा लाभों के निर्धारण और वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

11. 18 नवंबर, 2015 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में लीम्ड ब्रीफ होल्डर का यह तर्क इस न्यायालय द्वारा इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि यदि 4 नवंबर, 2006 के खण्ड पीठ के फैसले सिद्धान्त तथ्यात्मक रूप से ध्यान में रखा जाता है, तो यह वर्तमान मामले के समान था, क्योंकि याचिकाकर्ता, जिसने जिसने सशस्त्र बलों में अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को शामिल करने के पश्चात सेवा लाभों को फिर से निर्धारित करने का दावा किया था, वही तथ्यों पर आधारित था, जिसमें याचिकाकर्ता को 9 अप्रैल, 1979 को भारतीय सेना से आरोपमुक्त कर दिया गया था और बहुत पश्चात में उसे 1983 में राज्य के पुलिस विभाग में नियुक्त किया गया था।यह उन परिस्थितियों में था, जहां पुनः नियुक्ति में तीन साल के बाद अधिक से अंतराल था, और इसलिए, यह सेफी स्पष्ट और तार्किक भी है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों के बाद छुट्टी मिलने के तुरंत पश्चात यह ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, जहां हमेशा भारतीय के बादना के बाद इस तरह के बाद छुट्टी पाने वाले व्यक्ति को तुरंत बाद के बादवाओं के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, छुट्टी की तिथि और यह स्पष्ट रूप के बाद उसके लिए किसी भी अन्य खण्ड पीठ में अपनी उपयुक्तता के अनुसार नौकरी

खोजने के बाद खुद को उपयुक्त रूप के बाद नियुक्त आदेश के लिए एक निश्चित समय अवधि संलग्न करता और उस समय अंतराल में, जब संबंधित व्यक्ति द्वारा भारतीय के बादना के बाद छुट्टी मिलने के बाद फिर के बाद नियुक्ति आदेश से प्रयास किया जा रहा है, तो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए के बादवाओं में विराम नहीं माना जा सकता है। दिनांक 4 नवंबर, 2006 की स्थिति वही थी, जहां छुट्टी की तिथि 9 अप्रैल, 1979 थी और पुलिस के बादवाओं में नियुक्ति 14 जनवरी, 1983 की थी।

12. चूंकि खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित इन सिद्धांतों ने काफी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था, कि भारतीय सशस्त्र सेवाओं में व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लाभों के विस्तार के लिए इसके गैर-विचार कारण व्यर्थ नहीं रखा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति बाद में किसी राज्य विभाग में कार्यरत होता है।

13. इसलिए, मेरा विचार है कि प्रतिबंध, जिसे अधिसूचना सं. लागू करके आकर्षित करने की मांग की गई है। गई है। 214 दिनांक 18 नवंबर, 2015 को किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जो 2016 में किया गया था, यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक उदाहरणों के आलोक में लागू नहीं होगा, और विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि जब तत्काल पूर्व निर्णय में याचिकाकर्ता को मात्र 31 अगस्त, 2008 को भारतीय सेना सेना से छुट्टी दे दी गई थी, और उन्हें 4 अप्रैल, 2011 को राज्य पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया था। 18 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन से बहुत पहले।जब याचिकाकर्ता का अधिकार न्यायिक प्राथमिकता के आधार पर तत्कालीन प्रचलित नियमों के से परिपक्व हो हो जाता है, तो 18 नवंबर, 2015 की अधिसूचना या कार्यकारी निर्देशों के आधार पर राज्य द्वारा किए गए बाद के संशोधन के माध्यम से इसे अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

14. उस स्थिति में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय वेतनमान और उससे प्राप्त होने वाले परिणामी लाभों को फिर से तय करें, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवाओं की अवधि को शामिल करने के पश्चात 16 जुलाई, 1993 को एमी में उनके कमीशन के पश्चात और 31 अगस्त, 2008 को उनके डिस्चार्ज होने की तिथि से, और बाद में पुलिस में उनकी पुनः नियुक्ति के पश्चात इस फैसले की प्रमाणित प्रति पेश करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर खण्ड पीठ के फैसले के सिद्धांतों के आलोक में सभी सेवा लाभों का विस्तार करें। करें।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, रिट याचिका की अनुमति है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
16.12.2021